प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 05.05.2026

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे 06 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 05.05.2026 को शान्ति व्यवस्था चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश वांछित अभि0 के दौरान लाल कुआं से सर्विस रोड की तरफ औद्योगिक क्षेत्र के पास मोटरसाइकिल पर दो लड़के आते दिखाई दिए। जिन्हे रोकने हेतू टार्च से इशारा किया तो तुरंत मोटरसाइकिल पीछे मोड़कर भागने का प्रयास किया तो कविनगर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों 1. अकुल कश्यप पुत्र जानी कश्यप नि0 ग्राम मुकारी थाना बलैनी जिला बागपत उम्र 19 वर्ष व 2.अंश भाटी पुत्र हरेन्द्र भाटी नि0 रामवाटिका बंथला थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को एफ 67 व एफ 68 कंपनी सर्विस रोड चौकी औद्योगिक क्षेत्र कविनगर कमि0 गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग दिल्ली, दिल्ली एनसीआर व आस पास के क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चुराते हैं तथा उसे सस्ते दामों पर बेच देतें हैं। दोनों ने बताया की आरटीओ आफीस के पास एक खाली प्लाट है जहां पर चोरी की गयी मोटरसाइकिल छुपा देतें हैं, मौका मिलते ही उन्हें बेच देते हैं। आज भी हम आस पास क्षेत्र में मोटर साइकिल ढूंढने व चोरी करने के लिए जा रहे थे।

अभियुक्त का नाम पता-

1. अकुल कश्यप पुत्र जानी कश्यप नि0 ग्राम मुकारी थाना बलैनी जिला बागपत उम्र 19 वर्ष
2. अंश भाटी पुत्र हरेन्द्र भाटी नि0 रामबाटिका बंथला थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

बरामदगी

6 मोटर साईकिल

गिरफ्तार करने वाले टीम:-

थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत एक अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।

दिनांक 05.05.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर एवं 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण:

अभियुक्त राहुल कश्यप पुत्र सुनील कश्यप, निवासी मकान संख्या 72, गली संख्या 06, गणेशपुरी, घंटाघर के निकट, खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर, उम्र लगभग 26 वर्ष को सिद्धेश्वर बालाजी मंदिर के पास स्थित एक खाली/खंडहरनुमा मकान से गिरफ्तार किया गया।उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह लोगों को डराने-धमकाने एवं अपना रौब दिखाने के उद्देश्य से अपने पास तमंचा रखता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

राहुल कश्यप पुत्र सुनील कश्यप
निवासी मकान संख्या 72, गली संख्या 06, गणेशपुरी, घंटाघर के निकट, खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर
उम्र लगभग 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण:

- 01 तमंचा .315 बोर
- 01 जिंदा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग:

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

घटना का विवरण- दिनांक **04.05.2026** को थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की पहचान 1. **रिजवान इमरान मालिक उर्फ इमरान** और 2. **अजीम उर्फ अज्जू** के रूप में हुई है। इन्हें लोहियानगर स्थित हमदर्द ग्राउंड के पास से चोरी की एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और दो फर्जी नंबर प्लेटों के साथ पकड़ा गया।बरामद मोटरसाइकिल मुरादनगर थाने में दर्ज मु**0**अ**0**सं**0** धारा **303(2) BNS** से संबंधित है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने यह मोटरसाइकिल करीब 4-5 महीने पहले रेलवे कॉलोनी, मुरादनगर से चोरी की थी। आज वे मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर, राहगीरों को अपनी मजबूरी बताकर इसे बेचने की फिराक में थे। बिक्री से मिलने वाले पैसों को वे आपस में बांटने वाले थे।

अभियुक्तों ने बताया कि पुलिस चेकिंग देखकर वे डर गए थे और भागने की कोशिश में उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई, जिससे वे गिर पड़े और पकड़े गए। उन्होंने यह भी कुबूल किया कि वे पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुके हैं और वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं। वे अपने शौक पूरा करने और पुराने मुकदमों की पैरवी के खर्च के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:

1. **रिजवान इमरान मालिक उर्फ इमरान** पुत्र इलियास, निवासी: डासना, दूधिया पीपल, आयशा मस्जिद, थाना वेव सिटी, गाजियाबाद।
2. **अजीम उर्फ अज्जू** पुत्र स्व. सलामुद्दीन, निवासी: मजीदपुरा, गली नं. 5, जरिया वाला मंदिर, थाना हापुड़ कोतवाली। (वर्तमान पता: भूड़गढ़ी, थाना मसूरी, गाजियाबाद)।

बरामदगी का विवरण:

- **01 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल:** (रंग- काला, सही नं. UP81BQ6846), जो थाना मुरादनगर के मु0अ0सं0 0002/26 धारा 303(2) BNS से संबंधित है।
- **02 फर्जी नंबर प्लेट:** (नं. UP14AR5082)।

अपराधिक इतिहास:

1. **रिजवान उर्फ इमरान:** इसके विरुद्ध गाजियाबाद के विभिन्न थानों (कोतवाली, कविनगर, मसूरी, सिहानी गेट) में चोरी, आर्म्स एक्ट और NDPS एक्ट के कुल **07 अभियोग** पंजीकृत हैं।
2. **अजीम उर्फ अज्जू:** इसके विरुद्ध थाना हापुड़ नगर में चोरी का **01 अभियोग** पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम